11/संख्या- 1766/बयालिस-2014-08(बजट)/2014

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 24 जुलाई, 2014**

विषय- **वित्तीय वर्ष- 2014-15 के बजट में प्राविधानित धनराशि में लेखानुदान की धनराशि को घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि (आयोजनेत्तर पक्ष) निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखा जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 263/बजट/2014-15, दिनांक 15 जुलाई, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष- 2014-15 के आय-व्ययक (आयोजनेत्तर पक्ष) में प्राविधानित धनराशि अनुदान संख्या- 22 के लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 6304.31 लाख (रू0 तिरसठ करोड़ चार लाख इकत्तीस हजार मात्र) के सापेक्ष स्पोर्टस कालेज, लखनऊ एवं गोरखपुर की धनराशि रू0 901.00 लाख को घटाते हुए रू0 5403.31 लाख की धनराशि से वित्तीय वर्ष- 2014-15 में शासन के पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2014 द्वारा लेखानुदान से स्वीकृत धनराशि रू0 1634.45 लाख (रू0 सोलह करोड़ चौतिस लाख पैतालिस हजार मात्र) को घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 3768.86 लाख (रू0 सैतींस करोड़ अड़सठ लाख छियासी हजार मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि प्रदेशन मात्र है यह किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त् कर ली जाय।

(2)- शासकीय व्यय में मितव्ययिता हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-सी0ए0- 934/10-2004-मित-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

(3)- जिन मदों में निदेशालय के नियंत्रक अधिकारी स्वयं अपने स्तर से धनराशि स्वीकृति करने के लिए प्राधिकृत है उन स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेश की प्रति शासन को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित करके उपलब्ध करायी जायेगी तथा व्यय के वास्तविक विवरण भी माह के 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

.....2/

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- बी0- 1- 2457/दस- 2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निहित प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- उक्त धनराशि की स्वीकृति के फलस्वरूप विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय, वित्तीय वर्ष- 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 22- आयोजनेत्तर के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षकों, उप लेखा शीर्षकों/विभिन्न मदों के नामें डाला जायेगा।

(6)- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- बी0- 1- 2457/दस' 2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक :यथोपरि।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या- 1766(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(5)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(6)- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री खेल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0 शासन।
(7)- निजी सचिव, सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(8)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in